आदेश और पदाधिकरी का हस्ताक्षर	आदेश पर गई कार्रवाई बारे में टिप्पणी और तारीख सहित
2	3

08.08.19

न्यायालय अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, राजमहल
नामान्तरण अपील वाद सं0–04/2018–19
जाहिर शेख
बनाम
आसनारा बीबी वगै0, मौजा–उधवा दियरा
आदेश

यह नामान्तरण अपील वाद आवेदन आवेदक जहीर शेख, पिता– अनसार शेख, सा0–मान्तुटोला, उधवा दियरा थाना– राधानगर, जिला–साहेबगंज के आवेदन पर अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण वाद संख्या–820/2014–15 दिनांक 24.09.2014 में पारित आदेश के विरुद्ध दायर की गई है। साथ ही धारा 05 के तहत् काल क्षन्ति आवेदन दाखिल की गई है। जिसे स्वीकृत कर दिनांक 05.11.2018 को वाद की कार्रवाई प्रारम्भ की गई है।

इस नामान्तरण अपील वाद में प्रश्नगत भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है:–

मौजा	जमाबंदी नं0	रकवा
उधवा दियरा	791	01–00–00 धूर

अपीलार्थी उपस्थित। उत्तरवादी के ओर से वकालतन हाजरी दाखिल की गई है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का संक्षिप्त में कहना है कि प्रश्नगत भूमि मौजा उधवा दियरा खाता संख्या 791 रकवा 01–00–00 धूर जमीन दोरेशतुल्ला शेख ने निबंधित केवाला संख्या 2992 दिनांक 18.10.1962 के जरिये अविजन वेवा से क्रय कर प्राप्त किए एवं दखलकार बनकर सरकारी मांग पंजी–II के पेज न0 275 Volume VIII में अपना नाम दर्ज कराकर रसीद प्राप्त करने लगे। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा दोरेशतुल्ला शेख के दो पुत्र यथा गियासुद्दीन शेख एवं बुजोरदी शेख को कुल रकवा 01 बीघा के अन्तर्गत 5–5 कट्टा तथा चार पुत्री यथा जुबेला बीबी, सोनाभान बीबी, फदोन बीबी एवं जुलुस बीबी को 2½ –2½ कट्टा जमीन प्राप्त हुआ। बुजोरदी शेख के हिस्से की कुल 05 कट्टा जगीन अपने पुत्रों एवं पुत्रियों को प्राप्त हुआ। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का अंत में कहना है कि बुजोरदी शेख के तीन पुत्र उत्तरवादी क्रम संख्या 04 असलम शेख 5. रफिक शेख एवं 6. रैसुद्दीन शेख ने धोखाधड़ी, बेईमानी एवं छल–कपट से अपीलार्थी एवं अन्य हिस्सेदार की जमीन को हड़पने के लिये तीनों ने मिलकर अपनी–अपनी पत्नी, जो उत्तरवादी क्रम संख्या 01 आसनारा बीबी 2. सकीला बीबी एवं 3 मानतारा बीबी के पास मौजा उधवा दियरा के ज0न0 791/1 का कुल रकवा 01–00–00 धूर जमीन का एक फर्जी दलील संख्या 4045/14 दिनांक 25.08.2014 के द्वारा केवाला तैयार कर उसके आधार पर अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण वाद संख्या 820/2014–15 के द्वारा उत्तवादी क्रम संख्या 1, 2, 3 के नाम आदेश पारित करवाये। उनके विद्वान अधिवक्ता ने यह भी संज्ञान में दिया कि दोरेशतुल्ला की पुत्री यथा जुबेला बीबी, सोनाभान बीबी, जुलुस बीबी एवं फुदोन बीबी ने अपने हिस्से की जमीन निंबंधित केवाला संख्या 3563 दिनांक 04.09.2018 के द्वारा मौजा उधवा दियरा ज0न0 791/1 कुल रकवा 01–00–00 धूर अन्तर्गत अपने अंश व दखल भोग का रकवा 00–07–10 धूर के अन्तर्गत 00–07–07 धूर जमीन अपीलार्थी जाहीर शेख के पास बिक्री कर चुकी है और शेष जमीन 03 धूर रकवा दोरेशतुल्ला का कब्र है, जिसको छोड़करर बिक्री की है। अपीलार्थी उक्त जमीन रकवा 00–07–07 धूर पर दखलकार बनने के बाद घर बनाकर निवास कर रहे हैं।

Scanned with CamScanner

अतएव अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि उत्तरवादीगण द्वारा फर्जी केवाला, हल्का कर्मचारी/अंचल निरीक्षक के वगैर स्थलीय जाँच किये जाँच प्रतिवेदन अंचल अधिकारी द्वारा अनुशंसा किया गया है। साथ ही उक्त नामान्तरण वाद में किसी भी अन्य पक्षकार को विधिवत ढंग से नोटिस निर्गत नही किया गया है। जो अवैध एवं प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है।

अतः अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का प्रार्थना है कि अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण वाद संख्या 820/2014–15 दिनांक 24.09.2014 में पारित आदेश को अपास्त (Set –a-side) करने का अनुरोध किया गया है।

आज उत्तरवादी की ओर से वकालत हाजरी दाखिल की गई है।

उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दोरेशतुल्ला के द्वारा मौजा उधवा दियरा ज0न0 791 रकवा 1–00–00 धूर जमीन निबंधित केवाला संख्या 2992 दिनांक 18.10.1972 से क्रय किये तथा क्रय के पश्चात नामान्तरण करवाकर उत्तरवादी के द्वारा Rent अदा किया गया है। उनके विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि दोरेशतुल्ला के वंशावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि उनके दो पुत्र गियास शेख एवं बुजोरदी शेख तथा चार पुत्रीयॉ जुबेदा बीबी, सोनामन बीबी, जुलेश बेवा एवं फुदोन बेवा है। दोरेशतुल्ला के जीवन काल में ही गियास शेख की मृत्यु हो गयी फलस्वरुप गियास शेख के वंशागत कोई भी सम्पति प्राप्त करने का अधिकार नही है। अतएवं कुल रकवा जमीन 01–00–00 धूर दोरेशतुल्ला के एक मात्र जिवित पुत्र बुजोरदी शेख एवं चार पुत्रियों के बीच मौखिक बंटवारा के फलस्वरुप जुबेदा बीबी, सोनामन बीबी, जुलेश बीबी तथा फुदोन बेवा के हिस्से में कृषि योग्य भूमि प्राप्त हुआ, तथा मौजा उधवा दियरा जमाबंदी न0 791 रकवा 01–00–00 धूर जमीन किस्म बाडी बुजोरदी शेख के हिस्से में प्राप्त हुआ है। इस प्रकार संदर्भित जमीन बुजोरदी शेख के पुत्र असलम शेख, रफीक शेख एवं रईसुद्दीन शेख के हिस्से में कुल रकवा 01–00–00 धूर जमीन प्राप्त हुआ। उक्त जमीन को बुजोरदी शेख के तीनो पुत्रों यथा असलम शेख, रफीक शेख एवं रईसुद्दीन शेख ने अपनी पत्नियों क्रमशः असनारा बीबी, सकीला बीबी एवं मनतारा बीबी को निबंधित केवाला संख्या 4045 दिनांक 25.08.2014 के द्वारा क्रय कर मकान बनाकर आज तक दखल भोग में है। फलस्वरुप उत्तरवादी क्रम संख्या 1,2 एवं 3 के द्वारा अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण वाद संख्या 820/2014–15 दिनांक 24.09.2014 में अपने पक्ष में नामान्तरण कर Rent अदा कर रह है।

अंत में उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उत्तरवादीगण के द्वारा विधिवत नामान्तरण कराये है तथा उक्त भूमि पर उनका शांतिपूर्ण भोग दखल है।

अतः उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने प्राथर्ना किया है कि अंचल अधिकारी, उधवा के नामन्तरण वाद संख्या 820/2014–15 दिनांक 24.09.2014 में पारित आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलार्थी द्वारा नामान्तरण अपील आवेदन को खारिज करने का अनुरोध किया है।

अंचल अधिकारी, उधवा से मूल अभिलेख प्राप्त। अवलोकन किया। उक्त अभिलेख में हल्का कर्मचारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि आवेदित भूमि गैरमजरुआ, आमखास, वासगीत पर्चा, भूहदबंदी व वन्दोवस्ती तथा रेलवे बी क्लास की भूमि नहीं है। आवेदित भूमि जमाबंदी रैयत के पोताओं ने अपना नीज अंश निबंधित केवाला संख्या 4045, दिनांक 25.08.2014 के द्वारा आवेदक के नाम बिक्री किया है तथा आवेदित भूमि आवेदक के दखल भोग में है।

साथ ही हल्का कर्मचारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा के 16 आना रैयत को नोटिस निर्गत कर आपत्ति के अभाव में दाखिल खारीज करने की स्वीकृति दी जा सकती है। जिस पर अंचल निरीक्षक का अनुशंसा प्राप्त है। साथ ही हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षण के प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, उधवा द्वारा भी नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

Scanned with CamScanner

उपरोक्त तमाम् स्थिति एवं परिस्थिति पर सम्यक विचारोपरांत यह पाया गया कि उत्तरवादी ने अपना पक्ष रखने के लिए बहस अथवा संबंधित कागजात पेश करना उचित नही समझा।

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तु कागजात एवं दाखिल मौखिक बहस से यह प्रतीत होता है कि Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Act 1973 की धारा 14 में दिए गए निहित प्रक्रिया का पालन अंचल अधिकारी, उधवा ने नहीं किया है।

अतएव अंचल अधिकारी, उधवा के नामान्तरण वाद संख्या 280/2012–13 दिनांक 26.05.2012 में पारित आदेश को अपास्त (Set-a-side) किया जाता है। साथ ही अंचल अधिकारी, उधवा को निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश के आलोक में 30 दिनों के अन्दर पुनः आवेदन आमंत्रित कर दाखिल खारीज की कार्रवाई करें।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता
राजमहल।

भूमि सुधार उपसमहर्त्ता,
राजमहल।

103/2020
29/08/19

Scanned with CamScanner